अध्याय–18 (मैन्युअल –17)

भू–अर्जन प्रकोष्ठ

अन्य उपयोगी जानकारियॉ–

संभावित प्रश्न

1. औद्योगिक क्षेत्र कहॉ कहॉ बनाये जा रहे है ।

संभावित उत्तर

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र राजनांदगाव, दगोरी (बिलासपुर) रायगढ़, रायपुर (तिल्दा)

2. निजी भूमि के अर्जन पर सम्बंधित प्रभावित व्यक्ति द्वारा चाही गयी जानकारी

सीएसआईडीसी वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त कर आवेदन को उपलब्ध कराई जावेगी ।

3. भूमि के क्रय हेतु इकाई के आवेदन पर इकाई द्वारा जानकारी मांगे जाने पर

संबंधित नस्ती से वस्तुस्थिति की जानकारी आवेदन को दी जावेगी ।

औद्योगिक संवर्धन प्रकोष्ठ

अन्य उपयोगी जानकारियॉं–

संभावित प्रश्न

प्रश्न 1) एल्युमिनियम पार्क की स्थापना हेतु निगम द्वारा अब तक क्या कार्य किए गए हैं एवं भविष्य की क्या योजना हैं ?

उत्तर राज्य में एल्युमिनियम पार्क की स्थपना हेतु कन्सल्टेन्ट का चयन किया गया है । कन्सल्टेन्ट मेसर्स टाटा इकानामिक कन्सल्टेन्सी सर्विसेज हैं । कन्सलटेंट द्वारा डी.पी.आर. बीड मैनेजमेंट एवं मार्केटिंग का कार्य किया जाना है तथा इस बाबत् उन्हें 31.70 लाख का भुगतान किया जाना है ।

प्रश्न 2) अपैरल पार्क की स्थापना हेतु क्या प्रयास किए गए है तथा भविष्य की क्या योजना है ?

उत्तर अपैरल पार्क स्थापना हेतु कन्सलटेंट मेसर्स बिलवर स्मीथ एसोसियेट्स बैंगलोर का चयन कर लिया गया है । कन्सलटेंट द्वारा डी.पी.आर., बीड मैनेजमेंट एंकर टीनेन्ट एवं मार्केटिंग का कार्य करेगें । इस कार्य हेतु उन्हे रुपये 30.93 लाख का भुगतान किया जाना हे ।

प्रश्न 3) नये औद्योगिक क्षेत्रों का चयन एवं विकास हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं ।

उत्तर राज्य में नए औद्योगिक क्षेत्र का चयन करने एवं विकास के लिए डी. पी.आर. तैयार करने कन्सलटेंट नियुक्त किए जाने की चयन प्रक्रिया प्रचलन में है ।

प्रश्न 4) क्या फूड पार्क परियोजना आगे बढ़ाया जा रहा है ।

उत्तर हॉ, फूड पार्क परियोजना को आगे बढ़ाये जाने का कार्य आई.एल. एन्ड एफ.एस को दिया गया है । इस बाबत् आई.एल एण्ड एफ एस एवं सीआईडीसी के मध्य दिनांक 10/08/2005 को इकरारनामा सम्पादित किया गया है ।

प्रश्न 5) सीएसआईडीसी को खाद्य प्रसस्करण मंत्रालय भारत सरकार के योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य नोडल एजेन्सी है । इसके द्वारा क्या कार्य किए गए है । अब तक कितने प्रकरण भारत सरकार को प्रषित किए गए है ।

उत्तर सीएसआईडीसी को खाद्य प्रसस्करण मंत्रालय भारत सरकार राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों कि विकास एवं योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य नोडल ऐजन्सी घोषित किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत अब 21 प्रकरण भारत सरांकर को ग्राट–इन–एड स्वीकृत करने इस कार्यालय द्वारा अग्रेषित किए गए हे । सूची संलग्न है । अब दो प्रकरण स्वीकृत हो गए । शेष भारत सरकार के पास स्वीकृत हेतु पेन्डींग है ।

प्रश्न 6) उक्त योजना के अन्तर्गत क्या राइस मिल को लाभ मिल सकेगा ।

उत्तर दिनांक 31/3/2004 के राइस मिल, दाल मिल एवं फ्लोर मिल को इस योजनाओं के लाभ से वंचित किया गया है । अतः राइस मिल को इसका लाभ नहीं मिल सकेगा ।

पशन 7) खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के प्रचार – प्रसार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ।

उत्तर खाद्य प्रस्करण मे मंत्रालय भारत सरकार के योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु ईडीपी करने हेतु सीआईटीसीओएन एवं एपीआईटीसीओ के प्रस्वात भारत सरकार को अग्रेषित किया गया है ।

टीपः इस प्रकोष्ठ से संबंधित परिशिष्ठ क्र 96 से 104 तक देखे जा सकते है ।

एकीकृत अधोसंरचना विकास कार्यक्रम
(भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम)

भारत सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योग, अति लघु उद्योग तथा ग्रामोद्योगों के संवर्धन तथा विकास हेतु यह कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ किया गया ।

एकीकृत अधोसंरचना विकास योजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में नए औद्योगिक अधोसंरचना का विकास किया जाना है तथा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के उन्नयन भी इस योजना में शामिल हैं। इस योजना के मुख्य उद्‌देश्य निम्नानुसार हैंः

1. रोजगार के नए अवसर का सृजन तथा निर्यात की संभावनाओं को देखते हुए लघु उद्योगों के समूह का विकास करना ।
2. कृषि तथा उद्योगों के मध्य पारस्परिक कड़ी को सुदृढ़ करना ।
3. नए तथा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों का विकास तथा उन्नयन । अधोसंरचनात्मक सुविधा जैसे–बिजली, पानी, सड़क, संचार, कच्चामाल की उपलब्धता तथा विपणन आदि का विकास ।

एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत लगभग 15 से 20 हेक्टेयर भूमि के विकास की आदर्श परियोजना लागत रूपए 5.00 कराड़ है, जिसके वित्तीय स्रोत के रूप में सिड्बी से ऋण राशि 3.00 करोड़ एवं भारत सरकार द्वारा अनुदान राशि रूपए 2.00 करोड़ दिए जाने हैं । परियोजना लागत रूपए 5.00 करोड़ से अधिक होने पर शेष राशि राज्य शासन/क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा स्वयं के वित्तीय स्रोतों से उपलब्ध कराया जाता है । राज्य शासन/क्रियान्वयन एजेन्सी को परियोजना लागत में ऋण के स्थान पर स्वयं के वित्तीय स्रोत से अंशदान का भी विकल्प है तथा इस स्थिति में भी केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान की पात्रता है (कुल परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रूपए 2.00 करोड़) । परियोजना हेतु भूमि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ।

उक्त परियोजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र की स्थापना किया जाना है ।

कार्य सम्पादन

नाम – एस.चन्द्राकर
पदनाम – उप–प्रबंधक (तकनीकी)

उक्त योजना के अंतर्गत सीएसआईडीसी द्वारा निम्न औद्योगिक केन्द्र की स्थापना का कार्य किया जा रहा हैः

एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र बिरकोनी जिला महासमुंद–

कुल क्षेत्रफल – 96.42 हेक्टेयर (238 एकड़)
केन्द्र द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत – 566.36 लाख
स्वीकृति दिनांक – 26/6/03

वित्तीय स्रोत निम्नानुसार हैः

1.	भारत सरकार से अनुदान के रूप में	रूपए 200.00 लाख़
2.	राज्य शासन/सीएसआईडीसी के स्वयं के स्रोत से	रूपए 366.36 लाख
	कुलः	रूपए 566.36 लाख

राज्य शासन द्वारा परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति – 523.87 लाख
स्वीकृति की तिथि – 29/3/05

बजट

	राज्य शासन	**केन्द्रीय अनुदान**
वर्ष 2004–05	100 लाख (प्राप्त)	–
वर्ष 2005–06	100 लाख (प्रावधानित)	66.66 लाख (प्राप्त)

<u>वर्तमान स्थिति</u>

रूपए 80.00 लाख के कार्यादेश जारी हो चुके हैं । कार्य शीघ्र प्रारंभ होना है ।

<u>एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र हरिनछपरा, जिला कबीरधाम</u>

कुल क्षेत्रफल	–	20 हेक्टेयर (51 एकड़)
भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत	–	219.31 लाख
स्वीकृति तिथि	–	17/1/05
वित्तीय स्रोत		
केन्द्र द्वारा अनुदान	–	87.72 लाख
राज्य शासन/सीएसआईडीसी	–	131.59 लाख
		————————————
		219.31 लाख
		————————————
राज्य शासन द्वारा परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति	–	359.56 लाख
स्वीकृति तिथि	–	25/1/05

<u>बजट</u>

	राज्य शासन	केन्द्रीय अनुदान
वर्ष 2004–05	100 लाख (प्राप्त)	–
वर्ष 2005–06	100 लाख (प्रावधानित)	43.86 लाख (प्राप्त)

<u>वर्तमान स्थिति</u>

रूपए 87 लाख के कार्य प्रारंभ

<u>एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र नयनपुर/गिरवरगंज, जिला सरगुजा</u>

कुल क्षेत्रफल	–	126 एकड़
कुल परियोजना लागत	–	803.00 लाख
केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान(प्रस्तावित)	–	200 लाख
राज्य शासन/सीएसआईडीसी द्वारा	–	603 लाख
		803 लाख
राज्य शासन द्वारा परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति	–	488.29 लाख
स्वीकृति तिथि	–	25/1/05

<u>बजट</u>

	राज्य शासन	केन्द्रीय अनुदान
वर्ष 2004–05	100 लाख (प्राप्त)	–
वर्ष 2005–06	100 लाख (प्रावधानित)	–

<u>वर्तमान स्थिति</u>

रूपए 87 लाख के कार्य प्रारंभ
परियोजना प्रतिवेदन तैयार सिड्बी को अप्रेजल हेतु भेजा जा रहा है ।

एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र की स्थापना हेतु अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली–

1. राज्य के विभिन्न जिलों में औ.क्षेत्र के निर्माण हेतु उद्योग संचालनालय के माध्यम से भूमि की उपलब्धता तथा चयन ।
2. उद्योग संचालनालय के माध्यम से भू–अर्जन तथा सीएसआईडीसी को हस्तांतरण।
3. अभिन्यास तैयार किया जाना तथा विकास कार्य हेतु राशि का तकनीकी ऑकलन तैयार करना ।
4. परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाना ।
5. राज्य शासन से बजट प्राप्त करना/प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करना ।
6. परियोजना प्रतिवेदन का परीक्षण कर सिड्बी को अप्रेजल हेतु भेजा जाना । सिड्बी द्वारा स्थल निरीक्षण तथा परियोजना का परीक्षण किया जाना ।
7. सिड्बी द्वारा अप्रेजल कर प्रतिवेदन भारत सरकार की उच्च स्तरीय समिति को प्रेषित किया जाना ।
8. उच्च स्तरीय समिति द्वारा परियोजना का विस्तृत परीक्षण कराकर अनुमोदन प्राप्त करना। अनुमोदित होने पर परियोजना हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाना ।
9. राज्य शासन से परियोजना हेतु बजट आबंटन प्राप्त करना ।
10. विकास कार्यो हेतु निविदाएं आमंत्रित किया जाना ।
11. विकास कार्य प्रारंभ करना ।
12. भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने की कार्यवाही करना ।
13. प्रोजेक्ट मानिटरिंग कमेटी से परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाना तथा तदनुसार केन्द्र से विभिन्न चरणों में अनुदान की राशि मुक्त कराना ।
14. परियोजना का क्रियान्वयन तथा पूर्णता ।

भविष्य की कार्य योजना

भविष्य में उक्त परियोजना का क्रियान्वय निम्न जिलों में किया जाना प्रस्तावित है । (उन जिलों को छोड़कर जिनमें ग्रोथ सेन्टर स्थापित है)

1. धमतरी
2. चापा – जान्जगीर
3. राजनादगांव
4. जशपुर
5. कांकेर
6. कोरिया
7. दंतेवाड़ा
8. कोरबा
9. रायगढ़
10. बस्तर

इस हेतु उद्योग संचालनायल के माध्यम से भूमि की उपल्बधता सुनिश्चित किया जा रही है ।

संभावित प्रश्न तथा उत्तर

प्रश्न 1) आई.आई.डी.सी के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक क्षेत्र किस तरह के उद्योग हेतु निर्धारित है ?

उत्तर यह औद्योगिक क्षेत्र लघु, अतिलघु तथा ग्रामोद्योगों हेतु निर्धारित की गई है, जिसमें कृषि आधारित तथा अन्य लघु उद्योग स्थापित किये जा सकते है ।

प्रश्न 2) इस औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों को क्या सुविधायें दी जायेगी ?

इन औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियो को बुनियादी अधोसंरचना यथा सड़क, नाली, बिजली, पानी, संचार के अलावा कच्चे माल की उपलब्धता, विपणन, टूल रुम आदि कि सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न 3) औद्योगिक क्षेत्र में भू–आबंटन के दर क्या होंगे?

उत्तर यद्यपि नये औद्योगिक क्षेत्र के लिए भू–आबंटन की दर निर्धारित नही कि गयी है, तथापि यह लगभग रुपये 7 लाख प्रति हेक्टर तथा व्यवसायिक प्रयोजन हेतु रुपये 300 प्रति वर्ग मीटर की दर अनुमानित है ।

प्रश्न 4) इसमें स्थापित होने वाले लघु उद्योगों कों वित्तीय सहायता कहॉ से प्राप्त होगी, तथा क्या शासन द्वारा कोई छूट/अनुदान की योजना है ?

उत्तर लघु उद्योगों को ऋण बैकों द्वारा प्रदाय किया जायेगा जो कि निर्धारित मानदण्ड के आधार पर ऋण स्वीकृत करेगे । राज्य शासन द्वारा उद्योग नीति 2004–2009 के अनुरुप पात्रता अनुसार इकाईयों को अनुदान स्वीकृत किये जा सकेगें ।

प्रश्न 5) ये अनुदान तथा छूट क्या हैं ?

उत्तर विभिन्न प्रकार के छूट तथा अनुदान एवं इसकी पात्रता उद्योग नीति 2004'2009 में वर्णित है ।

प्रश्न 6) आईआईडीसी के सम्बंध में कोई निर्देशिका यदि उपलब्ध हो?

उत्तर आईआईडीसी से सम्बधित निर्देशिका F.No.2 (1)/90/ Plg./ भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग विभाग, कृषि तथा ग्रामोद्योग) नई दिल्ली 7 मार्च 1994 उपलब्ध है ।

प्रश्न 7 इस योजना के तहत स्थापित किये जा सकने वाले उद्योगो की सूची यदि उपलब्ध हो ?

उत्तर सूची उपलब्ध है (संलग्न) तथा इस श्रेणी के अन्य उद्योग भी लगाये जा सकते है ।

प्रश्न 8 क्या अन्य जिलों में भी इस तरह के औद्योगिक क्षेत्र बनाये जाने कि योजना है ?

उत्तर अन्य जिलों में भी इस तरह के आद्योगिक क्षेत्र बनाये जाने की योजना हैं, इस हेतु भूमि की उपल्बधता सुनिश्चित की जा रही है ।

भू–आबटन प्रकोष्ठ

अन्य उपयोगी जानकारियॉ

18.1 छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.के भू–आबंटन कक्ष से जन मानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर

प्रश्न–1 वर्तमान में भूमि प्रब्याजि की दरें क्या हैं ?

उत्तर– भू–आबंटन प्रकोष्ठ के अंतर्गत जिला रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में स्थित संबंधित औद्योगिक विकास केन्द्रों/क्षेत्रों में निम्नानुसार दरें प्रचलित हैं:

क्र.	औ.क्षेत्र का नाम	लघु श्रेणी उद्योग दर (प्रति हे.)	वृहद/मध्यम उद्योग दर (प्रति हे.)	वाणिज्यिक दर (प्रति वर्गमी)
1.	औ.वि.के.उरला/सिलतरा रायपुर	6.00लाख	10.00लाख	250/–
2.	औ.वि.के.बोरई, दुर्ग	6.00लाख	8.00लाख	200/–
3.	औ.वि.के.सिरगिट्टी, बिलासपुर	5.00लाख	8.00लाख	200/–

प्रश्न–2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को भूमि आबंटन के लिए क्या कोई छूट प्राप्त है ?

उत्तर– हॉ–राज्य शासन के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदकों को औद्योगिक विकास केन्द्रों/क्षेत्रों में निःशुल्क भू–आबंटन की सुविधा प्राप्त है । राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदकों को निःशुल्क भूमि आबंटन के संबंध में जारी पत्र परिशिष्ट 13 पर संलग्न है ।

प्रश्न–3 <u>क्या औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं ?</u>

उत्तर– हॉ–सीएसआईडीसी के अधीन के क्षेत्रों में सड़क, पानी, विद्युत जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

प्रश्न–4 <u>लघु उद्योग श्रेणी एवं मध्यम/वृहद उद्योग की क्या सीमाएं हैं ?</u>

उत्तर– लघु उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी पर रूपए 100 लाख तक निवेश होने पर इकाई लघु उद्योग श्रेणी के अंतर्गत आती है एवं इससे उपर की इकाईयां मध्यम/वृहद श्रेणी में आती हैं ।

18.2 <u>सूचना प्राप्त करने के संबंध में</u>

0	आवेदन पत्र (तथा संदर्भ के लिए भरे हुए आवेदन पत्र की प्रति)	कोई निर्धारित प्रपत्र नहीं है।
0	शुल्क	शासन द्वारा निर्धारित दर अनुसार
0	सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह मांगी जाए–कुछ टिप्स	चाही गई सूचना की जानकारी से स्पष्ट देनी चाहिए ।
0	सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया	सूचना न देने की स्थिति में आवेदनकर्त्ता को इसके कारण से अवगत कराते हुए अपीलेट अथारिटी का विवरण देना होगा । अपील दाखिल करने की समयावधि बतानी होगी ।

18.3 <u>लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में</u>

भू–आबंटन प्रकोष्ठ से संबंधित नहीं ।

18.4 <u>लोक प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण पत्र, अनापत्ति पत्र आदि के संबंध में जो कि मैनुअल 13 में ना सम्मिलित हो</u>

0	प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र का नाम व विवरण	1.औद्योगिक इकाईयों को का आदि से विद्युत कनेक्शन प्राप्ति के लिए उनके द्वारा चाहे जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है । 2.औद्योगिक इकाईयों को आबंटित भूमि के पट्टेदारी अधिकारों को बैंक के पक्ष में अभिहस्तांकन की सहमति पत्र जारी किए जाने के पूर्व इकाईयों एवं बैंक के चाहे अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।
0	प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने हेतु पात्रता	आवेदक इकाई सीएसआईडीसी के अधीन औद्योगिक विकास केन्द्रों/ क्षेत्रों में स्थापित होना आवश्यक है
0	अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया	लागू नहीं होता ।
0	आवेदन करने के लिए कहॉ/ किससे सम्पर्क करें	आवेदन प्रबंध संचालक/ कार्यपालकसंचालक सीएसआईडीसी को संबोधित कर निम्न सम्पर्क स्थल पर प्रस्तुत की जा सकेगी ।

1.प्रबंध संचालक/ कार्यपालक संचालक

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.
एलआईसी, व्यवसायिक परिसर,
पंडरी, रायपुर (छ.ग.)

2.प्रबंधसंचालक/कार्यपालक संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.
औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर
(छ.ग.)

3.प्रबंध संचालक/कार्यपालक संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड.डेव्ह.कार्पो.लि.
75–जी.ई.रोड, दुर्ग
(छ.ग.)

0	आवेदन शुल्क (जहॉ उचित हो)	कोई शुल्क नहीं ।
0	अन्य शुल्क (जहॉ उचित हो)	कोई अन्य शुल्क नहीं ।
0	आवेदन पत्र का प्रारूप आवेदन सादे कागज पर होता हो तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए बताएं कि आवेदनकर्त्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें)	आवेदन सादे कागज अथवा (यदि लेटर हेड पर प्रस्तुत करें प्रमाण पत्र किस हेतु चाहिए, स्पष्ट उल्लेख करें ।
0	संलग्नकों की सूची	आवश्यक नहीं ।
0	संलग्नकों का प्रारूप	लागू नहीं ।

0	आवेदन की प्रक्रिया	सादे कागज पर अथवा इकाई के लेटरहेड पर किस हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए, स्पष्ट किया जाना चाहिए ।
0	आवेदन करने के बाद सीएसआईडीसी में होने वाली प्रक्रिया (यहाँ पर उस प्रक्रिया विवरण दें, जो आवेदक द्वारा सारी प्राथमिकताएं पूरी करने के पश्चात सीएसआईडीसी द्वारा दी जाती है)	इस बिन्दु का परीक्षण किया जाता है कि संबंधित के कोई बकाया राशि है अथवा का नहीं तथा किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था के पक्ष में अनापत्तिजारी है अथवा नहीं ।
0	आवेदन की सारी प्राथमिताएं सही तरह से पूरी करने के पश्चात प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि जारी करने के लिए निर्धारित समयसीमा	अधिकतम 7 दिवस
0	प्रमाण पत्र के प्रभावी रहने की समयसीमा	लागू नहीं
0	नवीनीकरण की प्रक्रिया यदि हो तो	लागू नहीं

18.5 छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्ह.कार्पो.लि.भू–आबंटन प्रकोष्ठ में होने वाले पंजीयन के संबंध में

आवेदन पत्रों का आवक क्रमांक कर पंजीबद्ध करने कार्यवाही हेतु अपने से अग्रेतर अधिकारी को प्रस्तुत करना ।

18.6 छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्ह.कार्पो.लि (Municipal corporation, Trade Tax, Entertainment Tax आदि द्वारा टेक्स लेने के संबंध में

भू–आबंटन प्रकोष्ठ में लागू नहीं ।

18.7 छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्ह.कार्पो.लि.द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली बिजली/पानी के कनेक्शन को अस्थायी/स्थायी रूप से विच्छेदन, आदि के संबंध में

भू–आबंटन प्रकोष्ठ में लागू नहीं ।

18.8 छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्ह.कार्पो.लि.द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण

निरंक

विपणन प्रकोष्ठ

अन्य उपयोगी जानकारियॉ

संभावित प्रश्न

1. किन उद्योगों का पंजियन किया जाता है ।

संभावित उत्तर

आरक्षित वस्तुओं का पंजियन किया जाता है, जिसकी सूचि कार्यालय में देखी जा सकती है ।

2. पंजियन के अलावा क्या विपणन का कार्य भी किया जाता है ।

नही ।

लेखा एवं वित्त प्रकोष्ठ

अन्य उपयोगी जानकारी

1. सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उत्तर

(1) भुगतानों संबंधी निर्णय की क्या प्रक्रिया है

भुगतान हेतु प्रकरण /देयकों का निगम में प्रचलित विभिन्न नियमों / निर्देशों के तहत् परीक्षण कर उन्हें निर्णय /स्वीकृति हेतु कार्यपालक संचालक/प्रबंध संचालक को प्रस्तुत किया जाता है । स्वीकृति पश्चात् भुगतान की कार्यवाही की जाती है ।

(2) क्या भुगतान किए जाने हेतु कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित है ।

स्वीकृति /अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत सामान्यतः 3–4 दिवस में भुगतान किया जाता है । वेतन देयकों का भुगतान प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह के अंदर किया जाता है एवं निर्माण/संधारण कार्यों के देयकों का भुगतान स्वीकृति/अनुमोदन के उपरांत आने वाले शुक्रवार को किया जाता है ।

(3) भुगतान करने के पूर्व किन–किन स्तरों पर परीक्षण किया जाता है ।

प्रकरण की प्रकृति एवं अधिकारों के प्रत्योजन के अनुसार परीक्षण संबंधित कक्ष सहायक, सहा.प्रबंधक (लेखा), महाप्रबंधक (लेखा एवं वित्त), कार्यपालक संचालक / प्रबंध संचालक द्वारा किया जाता है ।

(4) भुगतान संबंधी अंतिम निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है ?

प्रकरण की प्रकृति एवं अधिकारों के प्रत्योजन के अनुसार कार्यपालक संचालक/प्रबंध संचालक अंतिम निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी हैं ।